कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@rajasthan.gov.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / आवंटन / 2014 / 1802–5 / 2893 – 2924 दिनांक : 12 जनवरी, 2016

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री जोगा राम, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 11 जनवरी, 2016 को सांय 4.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–क पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को आयोजित हुई। बैठक का कार्यवाही विवरण जारी हो चुका है। अतः कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: एडवोकेट कॉलोनी – द्वितीय (रामराज नगर योजना) में शेष रहे अधिवक्ताओं को भूखण्ड आवंटन लॉटरी के माध्यम से।

श्री जुगलकिशोर चांडा अधिवक्ता द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन नम्बर 2953 / 11 एवं श्री जेपी जोशी अधिवक्ता द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन नम्बर 7161 / 11 द्वारा नगर भूखण्ड सं. 360, 298 सेक्टर–1 के लिए याचिका दायर की गई। तथा राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एशोशिएशन जोधपुर द्वारा भी एसबी सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल) नम्बर 11993 / 12 की याचिका दायर की गई थी। जिसका राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय दिनांक 26.09.2014 में निर्णय लिया गया की निर्देशित याचिकार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर एशोशिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एक निश्चित सम्बद्ध तरीके से याचिकार्थी एशोशिएशन द्वारा मांगे गये अनुतोष के सम्बन्ध में हल निकाला जाये। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23.06.2015 एवं 26.10.2015 को राजस्थान हाईकोर्ट एशोशिएशन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। वर्तमान में शेष रहे भूखण्डो को अधिवक्ताओ को आवंटित किये जावें, ताकि प्राधिकरण एवं अधिवक्ताओ के बीच अनावश्यक कानूनी विवाद नही रहें। इस सम्बन्ध में पूर्व में बैठक 23.03. 2015 हुई सहमति अनुसार वर्तमान में रिक्त सामान्य भूखण्ड 252 अधिवक्ताओ को वर्तमान आरक्षित दर पर एवं कार्यकारी समिति के अनुमोदन पश्चात् राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति उपरांत आवंटित करने की सहमति बनी थी एवं बैठक दिनांक 26.10.2015 की हुई बैठक अनुसार योजना में स्थित कॉर्नर 177 भूखंड वर्तमान आरक्षित दर की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि पर कार्यकारी समिति के अनुमोदन प्रश्चात राज्य सरकार से अनुमोदन उपरान्त आवंटन हेतु स्वीकृति प्राप्त की जावे।

वर्तमान में रामराज नगर योजना में सामान्य भूखण्ड 252 अधिवक्ताओ के लिए रिक्त है तथा योजना में 177 कॉर्नर भूखण्ड है। जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली जानी प्रस्तावित है। प्रकरण प्राधिकरण कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण संपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति के साथ स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: हरित विकास एवं औरण विकास योजना

प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले औरण की भूमि की सूचियां उपयुक्तगणों से प्राप्त की जाकर सूची में वर्णित औरण भूमि में पेड लगाने एवं हरितमा विकसित करने की योजना कियान्वित की जानी है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में चिन्हित लैण्ड बैंक में से औरण भूमि को चिन्हित कर उसमें वृक्षारोपण तथा भूमि की सुरक्षा हेतु फेन्सिंग का कार्य किया जाये। इसके अलावा जे0डी0ए0 रिजन में पौधारोपण, हरित पट्टिका, मीडियन विकास, पार्क विकास, सर्किल पर प्लान्टेशन इत्यादि के संबंध में विभिन्न सम्बद्ध संस्थाओं यथा ए0एफ0आर0आई0 इत्यादि से चर्चा कर विस्तृत प्लान्टेशन व हरित योजना (plan) बनाई जाये। औरण क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण/हरितमा विकसित की जावे। इस हेतु विस्तृत प्रस्ताव निदेशक–अभियांत्रिकी प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: मैरिज गार्डन योजना

प्राधिकरण क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर मैरिज गार्डन योजना लागू की जानी प्रस्तावित है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण क्षेत्र में मैरिज गार्डन योजना लागू करने हेतु उपयुक्त भूमि का चयन समस्त उपायुक्तगण तहसीलदारगण के माध्यम से वर्तमान नियम (निर्धारित मापदण्ड) को मद्देनजर रखते हुए किया जाकर मैरिज गार्डन योजना लागू की जावे।

इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र से बाहर स्थित मैरिज गार्डन का पंजीयन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, इसके लिए नगर निगम के नियम/उप नियमों का परीक्षण कर इन्हें लागू करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु निदेशक–विधि को पालना हेतु निर्देश दिये।

प्रस्ताव संख्या 5 :: झरना विहार योजना

ग्राम बडली में खसरा संख्या 88 में नवीन झरना विहार योजना लागू की जानी प्रस्तावित है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में नवीन झरना विहार योजना लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: शहर के विभिन्न स्थानों पर पेन्टिंग की योजना

वर्तमान में रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के सामने पेन्टिंग का कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है तथा शहर के विभिन्न आर0ओ0बी0/आर0यू0बी0 की दीवारों व अन्य मुख्य सडकों की दीवारों पर भी पेन्टिंग करवाने की योजना है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अब तक किये गये पेन्टिंग कार्यों की पुष्टि करते हुए शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर पेन्टिंग करवाने की योजना (Painting Plan) लागू करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: कॉम्प्रीहैंसिव मोबिलिटी प्लान रिव्यू करने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर शहर हेतु कॉम्प्रीहैन्सिव मॉबिलिटि प्लान बनाने का कार्य मैसर्स विलबर स्मिथ एसोसिएट्स, बैंगलोर को आवंटित किया गया था। मैसर्स विलबर स्मिथ एसोसिएट्स, बैंगलोर द्वारा जोधपुर शहर का कॉम्प्रीहैन्सिव मॉबिलिटि प्लान तैयार कर अंतिम रिपोर्ट मई 2010 में प्रस्तुत की गई।

इस कॉम्प्रीहैन्सिव मॉबिलिटि प्लान का उद्‌देश्य जोधपुर शहर की बढ़ती आबादी एवं यातायात समस्या के स्थायी समाधान हेतु आगामी 20 वर्षों को ध्यान में रखते हुए शहरी यातायात के सुधार हेतु लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि आधार पर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना था।

मैसर्स विलबर स्मिथ एसोसिएट्स, बैंगलोर द्वारा 2010 से लेकर 2030 तक का कॉम्प्रीहैन्सिव मॉबिलिटि प्लान 2 चरणों में रूपये 6325.65 करोड़ का प्रस्तुत किया गया जिससे प्रथम चरण (2010 से 2020) के अन्तर्गत रूपये 1809.75 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित किये गये एवं द्वितीय चरण (2020 से 2030) के अन्तर्गत रूपये 4515.90 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित किये गये।

दोनों चरणों में प्रस्तावित विकास कार्यों के अन्तर्गत विभिन्न चौराहें/सर्किल के सुधार कार्य, बस शैल्टर/बस–वे का निर्माण कार्य, आंतरिक व बाहरी रिंग रोड़ का निर्माण कार्य, फुटपाथ मय नाली का निर्माण कार्य, विभिन्न स्थानों पर समुचित यातायात प्रबंधन हेतु एकतरफा यातायात की व्यवस्था लागू करना, फ्लाईओवर/आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण कार्य, फुट ओवर ब्रिज एवं स्काई वॉक का निर्माण कार्य, ऑफस्ट्रीट पार्किंग का निर्माण कार्य, अतिरिक्त बसों की आपूर्ति, सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर दो/चार/छ/ लेन करना, यातायात सुधार हेतु नयी सड़कों/लिंक आदि का निर्माण करना, बस टर्मिनल का निर्माण करना, बी.आर.टी.एस. का निर्माण करना ट्रक टर्मिनल का निर्माण कार्य एवं बाइक लेन का निर्माण प्रस्तावित है।

उपरोक्त वर्णित समस्त विकास कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक वित्त प्रबंधन एवं कन्सलटेन्ट द्वारा कार्यवार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनवानी आवश्यक है ताकि वित्तिय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कॉम्प्रीहैन्सिव मॉबिलिटि प्लान का क्रियान्यवन सुनिश्चित किया जा सके। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पूर्व में तैयार कॉम्प्रीहैंन्सिव मॉबिलिटी प्लान का आई0आई0टी0 या अन्य कन्सलटेन्सी एजेन्सी से परीक्षण करवाकर वर्तमान यातायात एवं भावी यातायात के दबाव को मद्‌देनजर रखते हुए प्लान का परीक्षण (Review) कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 8 :: कॉम्प्रीहैंसिव डवलपमेन्ट प्लान (विजन डाक्यूमेन्ट) के कियान्वयन के संबंध में।

जे0डी0ए0 रीजन में विभिन्न विकास कार्यों एवं भविष्य में किये जाने वाले विकास कार्यों एवं संभावनाओं के संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र का कॉम्प्रीहैंसिवल डवलपमेन्ट प्लान (विजन डाक्यूमेन्ट) आई0आई0टी0 जोधपुर अथवा अन्य समकक्ष संस्थान अथवा आऊटसोर्सिंग से तैयार करवाया जाकर प्राप्त प्लान का परीक्षण कर क्रियान्वयन किया जाना है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति कॉम्प्रीहैंन्सिव डवलपमेन्ट प्लान (विजन डाक्यूमेन्ट) आई0आई0टी0 अथवा आई0आई0टी0 के समकक्ष संस्थान अथवा आऊट सोर्सिंग से से तैयार कर इसे लागू करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: रोड प्लान के क्रियान्वयन के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, रीको, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राजस्थान आवासन मण्डल के क्षेत्राधिकार में आने वाली समस्त सडकों को सूचीबद्ध कर इनके रोड प्लान क्रियान्वयन किया जावेगा। इस हेतु विचांर विमर्श कर प्रस्ताव तैयार कर आगामी जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने अवगत कराया कि माननीय मंत्री महोदय ने भी गत प्रवास के दौरान इस संबंध में निर्देश प्रदान किये थे। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में रिमोट सेन्सिंग द्वारा सभी खसरों की मेपिंग की जा रही है उसका ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर निगम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, रीको व अन्य विभागों की मुख्य मुख्य सडकों का डाटा बैस तैयार किया जाकर रोड प्लान बनाया जावे। इस हेतु एन0आई0सी0 अथवा आऊटसोर्सिंग से रोड़ प्लान बनाया जाए।

प्रस्ताव संख्या 10 :: तृतीयपक्ष द्वारा निरीक्षण प्रणाली विकसित किये जाने के संबंध में।

1.	कार्य का नाम	तृतीयपक्ष द्वारा निरीक्षण प्रणाली विकसित किये जाने के संबंध में।
2	अनुमानित लागत	रू. 50.00 लाख
3	योजना /गैर योजना	योजना/गैर योजना
4	एजेण्डा संख्या	15
5	Salient Features of the Proposal	Vide this proposal it is proposed to deploy external agency for assisting Jodhpur Development Authority in execution of development works. Presently, the practice is being followed for major projects of RoB and sewerage and it is proposed to apply same for other works also. The deployed third party shall conduct inspection of development works being executed by Jodhpur Development Authority in accordance to agreed time schedule and frequency of visits. Director Engineering, JoDA shall be empowered to grant piece meal sanction for deploying authorized and approved third party.

		The selection of external agency will vary from case to case depending upon nature of work and in accordance to the work, expert would be deployed for conducting third party inspection from time to time as per agreement. The deployed agency shall ensure all required quality at work site and conduct necessary tests. the agency shall also suggest measures for enhancing quality of work. The inspection agency deployed for the work will submit reports of inspection conducted with test results within 7 days of inspection. Concerning Executive Engineer shall ensure compliance of same.
6	Payment	**The payment for the work will depend upon agreement with inspection agency which may vary from case to case. Before accord of sanction and orders, the proposal for payment with schedule, terms and conditions shall be got approved from DE/DF, JoDA.** **A lump sum amount of Rs. 50.00 Lacs has been proposed for sanction initially which may be revised further in accordance to outcome.**
7	Recommendation/ Comment of Director Engineering:	Quality of development work has been major issue of JoDA since long. Presently for major works like that of RoB, sewerage etc, JoDA has deployed Third party for conducting inspection from time to time. As such in the interest of JoDA it is recommended to apply same practice for other works in execution/ proposed. **Therefore A&F sanction is recommended.**

प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि:–

1– तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण प्रणाली विकसित करने के लिए शिड्यूल ऑफ पॉवर में भी इसका समावेश किया जावे,

2– तृतीय पक्ष निरीक्षण को 'जी' शिड्यूल का पार्ट बनाया जावे,

3– तथा 50.00 लाख रूपये से अधिक प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के प्रकरणों में Third Party Quality Inspection अनिवार्य किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 11 :: सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक में लिए गए बैठक में लिये गये निर्णय के अनुशरण में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के विरूद्व दायर होने वाले प्रकरणों में प्राधिकरण की ओर से नियुक्त प्रभारी अधिकारीगण को, सुसंगत विधिक प्रावधानों/आदेशों/परिपत्रों आदि की रोशनी में समुचित एंव

उपयुक्त प्रतिरक्षण आधारों पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं प्रारूप जवाब तैयार करवाने एंव उनके आधार पर पैनल अधिवक्तागण को जवाब तैयार करवाने में सहयोग करने हेतु निम्न अधिवक्तागण को आरम्भिक 06 माह की अवधि के लिए सहायक अधिवक्ताओं को दिनांक 28.12.2015 को नियुक्त किया गया जिनके नाम नीचे दिये गये है इनकी नियूक्ति आदेश को कार्यकारी समिति में अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है।

1. श्री अंकुर माथुर, अधिवक्ता
2. श्री महेन्द्र विश्नोई, अधिवक्ता
3. श्री शाहरूख खान, अधिवक्ता
4. श्री रजत अरोड़ा, अधिवक्ता

कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्यक्षा में श्री राजेन्द्र चौधरी व भारतभूषण शर्मा, अधिवक्तागण को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पैरवी करने के लिए पैनल अधिवक्ता दिनांक 05.01.2016 को नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति आदेश का अनुमोदन कार्यकारी समिति की बैठक में लिया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: माननीय राज्य सूचना आयोग, जयपुर में प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्ति अधिवक्ताओं के मानदेय के संबंध में।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 11.03.2015 के प्रस्ताव संख्या 3 में लिए गए निर्णय अनुसार माननीय राज्य सूचना आयोग, जयपुर में जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से कोई पैनल/सहायक अधिवक्ता पैरवी करने हेतु नियुक्त नहीं हैं अतः आदेश दिनांक 23.03.2015 के द्वारा 1. श्री कनिष्क गुप्ता 2. श्री हनीष माथुर 3. श्री बालकिशन शर्मा को अधिवक्ता नियुक्त गया था इस प्रस्ताव में इन अधिवक्ताओं को दी जाने वाली फीस के बारे में कोई निर्धारण नहीं हुआ था। वर्तमान में इन अधिवक्ताओं को 5,000/–रूपये प्रति प्रकरण के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है अतः उचित है कि उक्त फीस का अनुमोदन कार्यकारी समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार अधिवक्ताओं को 5,000/– रूपये प्रति प्रकरण के हिसाब से भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: विज्ञान नगर योजना में भूखण्ड क्षेत्रफल 91 से 220 वर्गमीटर की दर निर्धारण बाबत।

प्राधिकरण की विज्ञाननगर आवासीय योजना हेतु जारी आवेदन–पुस्तिका में मध्यम आय वर्ग 'ए' जिसकी आय 30,001/– प्रतिमाह से 45,000/– प्रतिमाह आयवर्ग हेतु निर्धारित भूखण्ड क्षेत्रफल 221 से 350 वर्गमीटर उपलब्ध नहीं होने के कारण शुद्धिपत्र जारी कर उक्त आयवर्ग को 15,001/– प्रतिमाह से 30,000/– प्रतिमाह तक के आयवर्ग के साथ मिलाकर संशोधित आयवर्ग 15,001/– प्रतिमाह से 45,000/– प्रतिमाह निर्धारित कर 91 से 220 वर्गमीटर क्षेत्रफल भूखण्ड आरक्षित दर पर आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये। 30,001/– प्रतिमाह से 45,000/– प्रतिमाह आयवर्ग हेतु निर्धारित भूखण्ड आरक्षित दर के 115 प्रतिशत दर पर भूमि निष्पादन नियम 1975 की धारा 17(4) सपठित अनसूची 'सी' में प्रावधान है। इस आयवर्ग के भूखण्ड योजना में उपलब्ध नहीं होने के कारण इस आय वर्ग के आवंटियों को 15,001/– प्रतिमाह से 30,000/– प्रतिमाह आयवर्ग हेतु निर्धारित भूखण्ड क्षेत्रफल 91 से 220 वर्गमीटर आवंटन दर निर्धारित करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से 30001 रूपये प्रतिमाह से 45,000/- प्रतिमाह तक आय वर्ग के आवंटियों को 91 से 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड आरक्षित दर पर लॉटरी अनुसार आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: मण्डलनाथ आवासीय योजना में श्रीमती चन्द्रकान्ता जोशी को आवंटित भूखण्ड के संबंध में।

प्राधिकरण की मण्डलनाथ आवासीय योजना में प्रार्थिया श्रीमती चन्द्रकान्ता जोशी पत्नी श्री दिलीप कुमार द्वारा 30001/- प्रतिमाह से 45000/- प्रतिमाह आय वर्ग में 221 वर्गमीटर से 350 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड हेतु आवेदन किया। प्राधिकरण द्वारा आयोजित लॉटरी में प्रार्थिया का नाम 45001/- प्रतिमाह से 65,000/- प्रतिमाह आयवर्ग में रखने के कारण प्रार्थिया को 418.06 वर्गमीटर गलत श्रेणी का भूखण्ड आवंटन हुआ। प्रार्थियां का प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक जिस श्रेणी से संबंधित है, उसी श्रेणी में उपलबध भूखण्ड आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 15 :: मण्डलनाथ आवासीय योजना में श्रीमती सुशीला कुमारी को आवंटित भूखण्ड के संबंध में।

श्रीमती सुशीला कुमारी पत्नी श्री प्रकाश आचार्य को प्राधिकरण की मण्डलनाथ आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 100 लॉटरी द्वारा दिनांक 12/09/15 को राज्य कर्मचारी वर्ग में आवंटित हुआ। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत वेतन प्रमाण-पत्र के अनुसार केन्द्रीय कारागृह में अस्थाई महिला प्रहरी के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि अस्थाई कर्मचारी है। अतः परिवीक्षा अवधि को राज्य कर्मचारी माना जावें अथवा नहीं, प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रार्थीया को सरकारी कर्मचारी मानते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड के संबंध में।

प्रार्थी श्री गोपालसिंह पुत्र श्री लालसिंह एवं श्री गोवर्धनसिंह पुत्र श्री लालसिंह ने विवेक विहार योजना में आवेदन किया था। आवेदन पुस्तिका के बिदुं सं. 16(2) के अनुसार एक से अधिक भूखण्ड आवेदक परिवार को होने पर भूखण्ड एक ही व्यक्ति को मिलेगा। शेष को 5 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि लौटा दी जावेगी।

उक्त प्रकरण में निम्न स्थिति है:-

1. श्री गोपालसिंह पुत्र श्री लालसिंह भूखण्ड सं. बी-45 क्षेत्रफल 195.09 व.मी.
2. श्री गोवर्धनसिंह पुत्र श्री लालसिंह भूखण्ड सं. डी-502 195.09 व.मी.

दोनों के आवंटन पत्र जारी होकर राशि जमा है। आवेदन पुस्तिका की शर्तों के अनुरूप प्रार्थी भूखण्ड सं. बी-45 रखना चाहते है। इस हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और भूखण्ड सं. डी-502 निरस्त करा राशि वापसी हेतु निवेदन किया है। दोनों ने परिवार की आय रूपये-18,000/- का प्रमाण पत्र आवेदन के पास पेश किया है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक मे बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या डी-502 का आवंटन निरस्त किया जावे तथा भूखण्ड संख्या बी-45 का आवंटन बहाल रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: विवेक विहार योजना में श्री सुनील मोहणोत को आवंटित भूखण्ड

के संबंध में।

प्रार्थी श्री सुनिल मोहनोत पुत्र श्री धनपतराज मोहनोत को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या जे–31 आवंटित किया गया। प्रार्थी ने भूखण्ड की राशि जमा करवा दी है। उक्त भूखण्ड पर मंदिर निर्माण होने के कारण भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जा सका। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा उपभोक्ता मंच में वाद पेश करने पर मंच ने प्रार्थी को अतिक्रमण हटाकर कब्जा देने का आदेश दिया। मौके पर उक्त भूखण्ड पर मंदिर बना होने से कब्जा नहीं दिया जा सका। प्राधिकरण ने प्रकरण में अपील की, जो खारिज हो चुकी हैं। प्रार्थी को भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जा सकने के कारण प्रार्थी ने प्रकरण में अवमानना याचिका दायर की। प्रार्थी को कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 के प्रस्ताव सं. 15 के निर्णय की पालना में भूखण्ड सं. जे–31 के स्थान पर भूखण्ड सं. जे–616 आंवटित किया। प्रार्थी ने भूखण्ड सं. जे–616 लेने से इंकार कर माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार भूखण्ड सं. जे–31 मौके से अतिक्रमण हटाकर दिलवाने का न्यायालय से निवेदन किया। माननीय उपभोक्ता न्यायालय ने सचिव को व्यक्तिशः अवमानना याचिका में तलब कर प्रार्थी को उसे आवंटित भूखण्ड सं. जे– 31 मंदिर का अतिक्रमण हटाकर कब्जा देने अथवा उसकी सहमति से अन्य भूखण्ड देने का मौखिक निर्देश दिया। प्रार्थी ने भूखण्ड सं. एन–807 आवंटन हेतु निवेदन किया। उक्त भूखण्ड प्रार्थी को पूर्व आंवटित भूखण्ड के समकक्ष आकार का है। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार प्रार्थी को भूखण्ड संख्या एन–807 आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में नीलामी द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या ए–237 के संबंध में।

प्रार्थी श्री श्रीराम पुत्र श्री फगलुराम को भूखण्ड सं. ए–237 क्षेत्रफल 167.22 मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में दिनांक 20.08.2008 को नीलाम किया गया था। प्रार्थी ने राशि जमा करवा कर लीज डीड की मांग की है। उक्त भूखण्ड प्रस्तावित बाईपास से प्रभावित होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका। माननीय उपभोक्ता न्यायालय में लम्बित अवमानना प्रकरण के मध्य नजर जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक 26.08.2015 के प्रस्ताव सं. 15 द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रार्थी को इसी योजना में भूखण्ड सं. ए–237 के स्थान पर ए–112 क्षेत्रफल 167.22 वमी. आवंटन किया गया। वर्तमान मौका रिर्पोट के अनुसार भूखण्ड सं. ए–112 क्षेत्रफल 39ग60 होने से 50.19 व.मी. अधिक है। कार्यकारी समिति के निर्णयानुसार बढे हूए क्षेत्रफल की राशि वर्तमान आरक्षित दर अथवा नीलामी दर जो भी अधिक हो, से वसूल की जानी है। योजना कीं वर्तमान आरक्षित दर रू 7095 प्रति वर्ग मी. एवं नीलामी दर रू 2785/– प्रति व.मी. से अधिक होने के कारण भू. सं. ए–112 मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर के बढे हुए क्षेत्रफल 50.19 व.मी. का आंवटन वर्तमान आरक्षित दर पर श्रीराम पुत्र श्री फगलुराम को करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि क्षेत्र की वर्तमान आरक्षित दर अथवा नीलामी की उच्च दर दोनों में से जो दर अधिक हो, के अनुसार बढे हुए क्षेत्रफल की कीमत राशि वसूल कर आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 19 :: खसरां सख्या 316, ग्राम बोरानाडा सुविधा क्षेत्र आवंटन हेतु।

खसरा संख्या 316, ग्राम बोरानाडा जोधपुर का ले–आउट प्लान दिनांक 06.01.2013 को स्वीकृत है तथा योजना की भूमि का 90–क के तहत निर्णय दिनांक 24.01.2013 को किया जाकर नामान्तरण प्राधिकरण के नाम हो चुका है। खातेदार मैसर्स ओरा टाउनशिप प्रा.लि. द्वारा सुविधा क्षेत्र की भूमि (क्षेत्रफल 3456 वर्गगज) की मांग की है।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 में किसी योजना में आरक्षित विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता के आवेदन पर आवासीय आरक्षित दर पर उक्त सुविधाओं के विकास के लिए विकासकर्ता को आवंटित किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009 पार्ट दिनांक 03.05.2012 के द्वारा (किसी भी योजना में सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि विकासकर्ता को विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र की 5000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल की भूमि आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर तथा 5000 वर्गमीटर से अधिक भूमि का भाग आवासीय आरक्षित दर पर विकासकर्ता को आवंटित किया जा सकेगा) को प्रत्याहरित किया जाकर अब आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–4 जयपुर दिनांक 13.02.2015 के अनुसार निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :–

1. टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं का विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर योजना/आस–पास की योजना के आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित दर पर सुविधा के विकास हेतु आवंटित किया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा योजना अनुमोदन की तीन माह की अवधि में आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। विकासकर्ता योजना में जिस प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित है के अनुरूप सुविधा क्षेत्र का विकास करेगा।
2. यदि विकासकर्ता सुविधा क्षेत्र आवंटित किये जाने का अनिच्छुक है अथवा तीन माह की निर्धारित समायवधि में नगरीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो सम्बन्धित नगरीय निकाय इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर अन्य इन्छुक व्यक्ति/संस्थाओं को योजना अनुसार आरक्षित सुविधा क्षेत्र के विकास हेतु नियमानुसार आवंटित कर सकेगा। जिन विकासकर्ताओं द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 03.05.2012 जारी होने के पश्चात् आवंटन हेतु आवेदन कर दिया गया था व उस पर आवंटन आदेश जारी हो गये हों तो उन पर विभागीय आदेश दिनांक 03.05.2012 की शर्ते लागू होगी तथा जिन आवेदनों पर निर्णय नहीं हुआ हो वे इस आदेश के अन्तर्गत वर्णित शर्तो के अनुसार निष्पादित किये जावें।

अतः सुविधा क्षेत्र की भूमि (रकबा 3456 वर्गगज) आवंटन हेतु वास्ते निर्णयार्थ कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र की भूमि वर्तमान आरक्षित दर पर नियमानुसार आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: अधिवक्ताओं को भुगतान के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यालय ओदश दिनांक 02.02.2015 के द्वारा विभिन्न न्यायालयों में पैरवी करने के लिए अधिवक्तओं की नियुक्ति की गई थी। इस आदेश में राज्य उपभोक्ता आयोग से पारित निर्णयों के विरूद्व राष्ट्रीय उपभोक्ता सरंक्षण मंच में रिवीजन प्रस्तुत की जाती है इन रिवीजन प्रकरणों में पैरवी करने के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया है वर्तमान में इन प्रकरणो की पैरवी पूर्व में नियुक्त अधिवक्ता श्रीमती मधुरिमा टाटिया से की जा रही है। इन्होंने प्रकरणों में फीस का बिल प्रति प्रकरण 55,000/–रूपये व लगभग 10,000/–रूपये से 15,000/– रूपये खर्चे का बिल प्राप्त हो रहा है जो अत्याधिक है। अतः इस न्यायालय में प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने के लिए अधिवक्ताओं से बायोडाटा मंगवाया जाना उचित रहेगा। तपश्चात् उक्त न्यायालय में वकील नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकें। पूर्व में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा की जा रही पैरवी उन्हीं के द्वारा की जानी प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार अधिवक्ताओं को भुगतान करने का निर्णय लिा गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: पूल वाहन – बोलेरा / इण्डिगो की एकल निविदा स्वीकृति बाबत।

निविदा सूचना संख्या : अभियांत्रिकी/पूल/32/2015–16 प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु एक वर्षीय अनुबंध आधार पर निविदा निम्नानुसार जारी की गई तथा केवल एकल निविदा ही प्राप्त हुई है, जिसके अन्तर्गत निम्नानुसार दरे प्राप्त हुई है :–

क्र.	वाहन का प्रकार	निविदा के समय प्रस्तुत दर	निविदा के समय प्रस्तुत दर (2000 कि.मी. से अधिक चलने पर)
1.	बोलेरो वाहन	27530/–	8.50/– प्रति किलोमीटर
2.	इण्डिगों वाहन	27350/–	8.00/– प्रति किलोमीटर

तत्पश्चात् संबंधित फर्म को नेगोशियेशन हेतु पत्र प्रेषित किया गया। फर्म द्वारा निम्नानुसार नेगोशियशन प्रस्तुत किया गया है :–

क्र.	वाहन का प्रकार	निविदा के समय प्रस्तुत दर	नेगोशियशन दर	निविदा के समय प्रस्तुत दर (2000 कि.मी. से अधिक चलने पर)	नेगोशियशन दर (2000 कि.मी. से अधिक चलने पर)
1.	बोलेरो वाहन	27530/–	26630/–	8.50/– प्रति कि.मी.	8.00/– प्रति कि.मी.
2.	इण्डिगों वाहन	27350/–	25350/–	8.00/– प्रति कि.मी.	8.00/– प्रति कि.मी.

कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि एकल निविदा होने के कारण कार्यकारी समिति में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। अतः उक्तानुसार प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक–वित्त अपने स्तर पर संपूर्ण प्रकरण का परीक्षण कर वित्त विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही करें।

प्रस्ताव संख्या 22 :: श्री लोकेशसिंह सोलंकी को आवास संख्या 25 पण्डित दीनदयाल उपाध्यायनगर में आवंटन बाबत।

लोकेश सिंह सोंलकी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह को लॉटरी दिनांक 28.08.2009 को आवास संख्या 25, योजना पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर बासनी तम्बोलिया में आवास आवंटित किया गया था । प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 1566 दिनांक 29.09.2009 को जारी किया गया था । जिसके अनुसार प्रथम किस्त राशि 20,600/– 30 दिवस में, एवम द्वितीय किश्त राशि 14500/– 60 दिवस में एवम शेष राशि 484/– मासिक किश्तो से 120 माह में जमा करानी थी । कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17.08.2012 के प्रस्ताव संख्या 6 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार बैठक में निर्णय लिया गया की आवंटी को आवंटन स्वतः निरस्तीकरण के सम्बन्ध में लिखित अवगत कराया जावें और किसी आवंटी द्वारा स्वतः निरस्तीकरण रद्द कर नियमन कियें जाने के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किय जाता है तो ऐसे प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को नियमन के लिए भिजवाया जावें । कार्यकारी समिति के निर्णय अनुसार प्रार्थी को पत्र संख्या 1273 दिनांक 18.09.2012 से निरस्तीकरण की सूचना जारी की गयी । राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(224) न.वि.वि/जयपुर/2014 दिनांक 20.07.2015 के अनुसार

राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि का निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17 के अन्तर्गत आवंटित किये गये आवासों/भूखण्डों जिनकी सम्पूर्ण राशि आवंटियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं करवाये जाने से आवंटन स्वतः निरस्त हो गया है । ऐसे प्रकरणों में स्वतः निरस्त आवासों/भूखण्डों की बकाया राशि जमा कर आवंटन बहाल किये जाने हेतु निश्चित अवधि के पश्चात प्रस्ताव वर्तमान राज्य सरकार को भिजवाये जातें है । पूर्व में राज्य सरकार द्वारा विभागीय परिपत्र आदेश दिनांक 07.08.2014 द्वारा कमजोर व अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यास की आवास विकास याजनाओं में से दिनांक 04.01.2006 के पश्चात आवटित कियें गये आवासो/भूखण्डों जिनमें आवंटियो ने पूर्ण राशि जमा नहीं करवायी है उनको रजिस्ट्रर्ड डाक के माध्यम नोटिस देकर तथा सामान्य अपील अखबार के माध्यम से जारी कर एक माह के भीतर निर्धारित राशि/ब्याज /शास्ती जमा कर भूखण्डो के आवंटन को बहाल करने की शक्तियां जो राज्य सरकार के पास नहीं थी वह एक बार के लिए विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यास को दी गयी थी व पुनः पत्र जारी होने की तिथी से दो माह के अन्दर आम–सूचना का प्रकाशन एवं व्यक्तिगत नोटिस जारी कर राशि जमा कराने का आदेश प्रदान किये गये है प्रार्थी ने दिनांक 27.08.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवास की राशि जमा कराने का निवेदन किया है आम–सूचना एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर आयुक्त महोदय से अनुमोदन पश्चात् प्रार्थी के आवास की समस्त बकाया राशि रूपये 1,39,681/– का मांग पत्र दिनांक 15.10.2015 को डाक द्वारा जारी किया गया था। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियां दिनांक 20–9–2015 तक थी। प्रार्थी ने आवेदन निर्धारित अवधि में किया। किन्तु मांग पत्र विलम्ब से जारी होने के कारण राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं हो सकी। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19–10–2015 में प्रस्ताव संख्या 11 के अनुसार राज्य सरकार के पत्र कमांक प.1 (224) नविवि/ जयपुर/ 2014 दिनांक 20.–7–2015 के कम में बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया। निरंस्त आवास का आवंटन बहाल करने के सम्बन्ध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से राशि जमा कर निरस्त आवास का आवंटन बहाल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: श्यामनगर योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।

माननीय उच्च न्यायालय एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 6116/2013 विरेन्द्र प्रसाद शर्मा बनाम स्टेट व अन्य मे माननीय न्यायालय ने उपायुक्त पश्चिम को तलब किया एवं आदेश दिनांक 11/12/2015 द्वारा दिनांक 13/01/2016 तक याचिकाकर्ता के परिवाद को सुनकर उसका निस्तारण करने के आदेश दिये। आगामी सुनवाई तिथी 18/01/2016 नियत है।

इस सम्बन्ध मे जो.वि.प्रा. के अधिवक्ता द्वारा जरिए पत्र अवगत कराया है कि श्याम नगर योजना में याचिकाकर्ता के कथनानुसार उनके द्वारा रिक्त भूमि जो.वि.प्रा./तत्कालीन यू.आई.टी. को समर्पित की थी लेकिन जो.वि.प्रा., जोधपुर द्वारा उस भूमि को अन्य व्यक्तियों को आवंटित कर दिया एवं याचिकाकर्ता को अतिक्रमित भूमि में भूखण्ड आवंटित किये गये जिनका कब्जा आज तक याचिकाकर्ता को प्राप्त नही हुआ। इस तथ्य की जो.वि.प्रा. कार्यकारी समिति द्वारा जांच कर समूचित निर्णय लिया जाकर इसी योजना में रिक्त भूखण्डों का आवंटन किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

इस प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है –

1. याचिकाकर्ता श्री विरेन्द्र प्रसाद शर्मा, श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 771 मे स्थित चक संख्या 18–ए की भूमि तत्कालीन न्यास को समझौते के अन्तर्गत समर्पित की गई थी। जिसके ले–आउट प्लान में भूखण्ड संख्या 220, 221, 222, 234, 235 व 236 स्थित है।

A. याचिकाकर्ता का द्वारा जरिए शपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर मे अवगत कराया है कि समर्पित किये जाने के समय उनकी भूमि खाली थी।

B. कार्यालय मे उपलब्ध भूखण्ड संख्या 225–ए श्याम नगर श्री राजकुमार पुत्र श्री गंगाप्रसाद शर्मा खसरा संख्या 771 ग्राम जोधपुर के चक संख्या 18–ए–1 की आदेशिका के पैरा एन/16 मे कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार चक संख्या 18–ए मे एक ढालिया व एक फुट ऊंचाई तक बाऊण्ड्री वाल के अलावा पूरा चक खाली है। रिपोर्ट दिनांक 17/03/2004 को की गई।

तत्कालीन यू.आई.टी. द्वारा उक्त चक संख्या 18–ए के भूखण्ड संख्या 220, 221, 222, 234, 235 एवं 236 निम्नानुसार आवंटित है।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	आवंटी का नाम	पट्टा जारी दिनांक
1	220	श्रीमती करूणा पत्नी दलवीर	29/09/2000
2	220–ए	अब्दुल वहीद पुत्र नन्ने खां	28/05/2004
3	221	चिमनीराम पुत्र रामाराम जी	16/06/2004
4	222	चिमनीराम पुत्र रामाराम जी	16/06/2004
5	234	श्री भरत सिंह, श्री जैठानन्द, श्री प्रलंयकर जी	29/03/2004
6	235	श्री भरत सिंह, श्री जैठानन्द, श्री प्रलंयकर जी	29/03/2004
7	236	श्रीमती करूणा पत्नी दलवीर	29/09/2000

C. वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट श्री प्रशान्त पुरोहित कनिष्ठ अभियन्ता से ली गई जिसके अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है –

220 मकान बना हुआ है।
221 मकान बना हुआ है।
222 मकान बना हुआ है।
234 चार दिवारी बनी हुई है।
235 चार दिवारी व आधा बना हुआ है।
236 चार दिवारी बनी हुई है।

हैल्थ सेन्टर के नाम से भूखण्ड ले–आउट प्लान मे दक्षिण की तरफ अंकित है। जिसका लगभग आधा हिस्सा चक संख्या 18–ए का भाग है व वर्तमान मे रिक्त है। याचिकाकर्ता को उक्त चक संख्यचा 18–ए के एवज में याचिकाकर्ता द्वारा निम्नांकित भूमि खसरा संख्या 771 ग्राम जोधपुर के चक संख्या 18–ए–3 श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा समर्पित भूमि 350 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या 321 क्षेत्रफल 222.96 वर्गमीटर (40'x60') का आवंटन पत्र दिनांक 26/04/2008 एवं चक संख्या 18–ए–2 श्री विरेन्द्र प्रसाद द्वारा समर्पित भूमि 427 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या 230 क्षेत्रफल 222.96 वर्गमीटर (40'x60') का आवंटन पत्र दिनांक 26/04/2008 को जारी किया गया।

सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि श्यामनगर योजना वर्तमान में नगर निगम, जोधपुर के क्षेत्राधिकार मे आता है। बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय में इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया जावे कि भूखण्डधारी को भूखण्ड नियमन करते वक्त यह शर्त रखी गयी थी कि भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द करने के लिए नगर विकास न्यास, जोधपुर बाध्य नहीं है। नगर विकास न्यास, जोधपुर सहयोग

करेगा। उक्त आशय का जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा कब्जा सुपुर्द करने का आदेश प्रदान किया जाता है तो अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अतिक्रमियों का कब्जा नहीं हटाने के पारित स्थगन आदेश को माननीय न्यायालय द्वारा हटने के पश्चात् नियमानुसार कब्जा सुपुर्द करने की कार्यवाही की जावे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त क्षेत्र वर्तमान में नगर निगम, जोधपुर के क्षेत्राधिकार मे आता है। अतः श्यामनगर योजना नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जावे।

प्रस्ताव संख्या 24 :: राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के संनिर्माण कार्यो के अलावा समस्त प्रकार की सामग्रियों/स्टोर एवं सेवाओं हेतु कमेटियों के गठन के बाबत्

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अध्याय– 2 के तहत प्रत्येक उपापन संस्था में निम्नलिखित प्रयोजनो के लिए एक या इससे अधिक समितियों का गठन का प्रावधान है :–

a. बोली दस्तावेजों तैयार करना
b. बोलियों का खोलना
c. बोलियो का मुल्यांकन
d. संविदा का अनुश्रवण
e. मौके पर क्रय
f. प्रतियोगी बातचीत और
g. अन्य

लेकिन प्राधिकरण में संनिर्माण कार्यो हेतु समितियो का उल्लेख " शक्तियो के प्रयोजन" (S.O.P.) में है, अतएवं संनिर्माण कार्यों के लिए (S.O.P.) में अधिकृत कमेटियॉ उपापन कार्य करेगी तथा संनिर्माण कार्यो के अतिरिक्त समस्त प्रकार की सामग्रियों स्टोर्स एवं सेवाओं के उपापन हेतु निम्नानुसार समितियों के गठन के प्रस्ताव प्रस्तुत है :–

समिति के सदस्यों एवं वित्तीय स्तर का प्रस्ताव निम्न तालिका में प्रस्तुत है :–

क्र0सं0	उपापन का वित्तीय स्तर	समिति के सदस्य				स्वीकृति अधिकारी
		1	2	3	4	
1–	5.00 लाख तक के उपापन	संबंधित प्रभारी अधिकारी	मुख्यालय के अधिशाषी अभियन्ता	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	मुख्यालय के सहायक अभियन्ता	सचिव
2–	5.00 लाख से अधिक एवं 25.00 लाख तक	संबंधित प्रभारी अधिकारी	अधीक्षण अभियन्ता	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– प्रथम	सचिव	आयुक्त
3–	25.00 लाख से अधिक	संबंधित प्रभारी अधिकारी	निदेशक–अभियांत्रिकी	निदेशक–वित्त	आयुक्त	कार्यकारी समिति

1. उपापन, स्वीकृत बजट की सीमा में होना चाहिए।

2. उपापन की प्रक्रिया, स्वीकृति अधिकारी की पूर्वानुमति के पश्चात ही शुरू की जावे।
3. समस्त प्रकार के सामग्री/स्टोर एवं सेवाओं में अग्राकिंत आइटम सम्मिलित है जैसे – स्टोर्स, स्टेशनरी, प्रिन्टिग, सभी प्रकार की सामग्री, फर्नीचर एवं उपकरण, वाहन किराये पर लेना, कम्प्यूटर मय ऑपरेटर, कम्प्यूटर आपरेटर, टेन्ट संविदा, सुरक्षा गार्ड, संविदा कार्मिक, विडियोग्राफी–फोटोग्राफी फेलक्स, फोटोस्टेट, कार्यालय भवन साफ–सफाई, कुलर किराया, अस्थाई लाईट, माईक, टी.वी. लगाना, विभिन्न प्रकार के वार्षिक अनुबन्ध, पी.बी.एक्स. सिस्टम, इन्टरकॉम संचालन इत्यादि।
4. प्राधिकरण के लिए समस्त प्रकार के उपापन (Procurement) RTPP Act & Rules के प्रावधानों अन्तर्गत ही किया जावें।

उक्त कमेटियो/समितियों के गठन के प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार कमेटियां/समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अध्याय VIII के अनुसार विभिन्न स्तरों पर उपापन (Procurement) के प्रथम एवं द्वितीय स्तर की अपील प्राधिकृत अधिकारी बनाने बाबत्

A. संनिर्माण कार्यो के उपापन हेतु

क्र.स.	उपापन का स्तर	प्रथम अपील अधिकारी	द्वितीय अपील अधिकारी
1	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता	निदेशक अभियांत्रिकी
2	अधीक्षण अभियंता	निदेशक अभियांत्रिकी	सचिव
3	निदेशक अभियांत्रिकी	सचिव	आयुक्त

B. स्टोर/सामग्री एवं सेवाओं के लिए उपापन हेतु

क्र	उपापन का स्तर	प्रथम अपील अधिकारी	द्वितीय अपील अधिकारी
1	संबंधित प्रभारी अधिकारी	सचिव	आयुक्त
2	सचिव	आयुक्त	कार्यकारी समिति
3	आयुक्त	कार्यकारी समिति	प्राधिकरण

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों के अध्याय VIII के तहत बनाई जानी वाली प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील अधिकारी का गठन का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील अधिकारी के गठन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 26 :: विवेक विहार योजना अवार्ड संख्या 61 खसरा संख्या 155/1 रकबा 13–08 बीघा भूमि के संबंध में।

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा अवार्ड सं. 61 खसरा नं. 155/1 रकबा 13.08 बीघा विवेक विहार योजना (अवार्ड) ग्राम कुड़ी भगतासनी अवार्डी भंवरसिह पुत्र हरिसिहं वगैरह 36 अवार्डियों के नाम दर्ज है। उक्त अवाप्त भूमि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 06(40)नविवि/3/96 दिनांक 20.05.2010 अनुसार विवेक विहार आवासीय योजना में अवाप्त भूमि के एवज में 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने का प्रावधान है। जिसमें 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि है। 300 व.ग. तक के गैर–रूपान्तरित कृषि भूखण्डों हेतु निम्न विकल्प दिये गये:–

I. समान आकार का भूखण्ड योजना में आरक्षित दर की 75 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने की शर्त पर आंवटित किया जावे।
II. अवाप्तिधीन भूखण्ड के 25 प्रतिशत आकार के क्षेत्रफल तक आवासीय भूखण्ड दिया जावे।
III. कृषि भूमि पर गैर रूपान्तरित भूखण्डों के संबंध में गैर अनुमोदित योजना में छोड़े गये सड़क, पार्क व अन्य सार्वजनिक स्थानों का कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

उक्त अवाप्त भूमि को कृषि भूमि मानते हूए दिनांक 08.09.2011 की लॉटरी द्वारा मुआवजे हेतु 20 प्रतिशत विकसित भूमि के आवासीय भूखण्ड आवंटित किये गये। व्यवसायिक आवंटन होना शेष है। लॉटरी सूची की प्रति संलग्न है।

अवार्ड में उक्त भूमि की रजिस्ट्री सयुक्त रूप से कृषि भूमि के रूप में की गई हैं अलग–अलग भूखण्डों के रूप में रजिस्ट्री में बेचान नहीं है। परन्तु पंजिका में दर्शाया गया नक्शा कॉलोनी के रूप में है। एवं खातेदारों के मध्य सहमति पत्र में भी उक्त भूमि में भूखण्डों के रूप में विभाजन किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को कृषि भूमि मानकर पूर्व में निकाली गयी लॉटरी के आधार पर आवंटन करने अथवा गैर रूपान्तरित कृषि भूखण्ड मानकर मुआवजे के रूप में आवंटन करने है पर निर्णय हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव में वर्णित भूमि कृषि भूमि मानते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27 :: भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों के संबंध में।

- मास्टर प्लान के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 09.12.2010 को स्थगन आदेश पारित करते हुए बिना माननीय न्यायालय की पूर्वानुमति के परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन पर रोक लगाई थी। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त स्थगत आदेशो की पालना में राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन पर रोक लगा दी गई।

- तत्पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशो के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का निश्पादन किया जाता रहा था, परन्तु जोधपुर से सम्बन्धित अनेक भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणो में आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित करने हेतु जारी आम सूचनाओ एवं राजपत्र में प्रकाशित भू–उपयोग परिवर्तन आदेशों का उल्लेख करते हुए लीगल सोसायटी के चैयरमेन एवं सेक्रेटरी, जोधपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई।

- उक्त अवमानना याचिका दायर होने के उपरान्त प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक, दिनांक 30 जनवरी, 2013 में भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणो में तथा 29 जनवरी, 2013 को अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 750 वर्गमीटर तक के आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणो के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय में आगामी सुनवाई से पूर्व फिलहाल कोई कार्यवाही नही की जावे।

- निदेशक विधि द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.आर. पूनिया को भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में एक पत्र प्रेशित किया गया, जिसके सम्बन्ध में निम्नानुसार राय प्रेशित की गई :–

  Since the Hon'ble Court has stayed the change of land use, that is to say the order for effecting the change of land use is stayed. Therefore, in my considered opinion the final order for effecting change of land use cannot be passed for the concerned area relating to green belt/periphery control belt etc. shown in the master plan, but the cases can be processed for change of land use.

- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के कार्यालय पत्रांक एफ 37/2013/93, दिनांक 15.03.2013 द्वारा इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहे जाने पर संयुक्त भाासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र कमांक प. 10(36)नविवि/3/2010 पार्ट–II जयपुर, दिनांक 16.04.2013 द्वारा परिपत्र कमांक 25.02.2011 की प्रति प्रेशित कर परिपत्र के बिन्दु (अ) में प्रदत्त दिशा–निर्देशो के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

- विधि शाखा द्वारा अवगत करवाया गया कि लीगल सोसायटी के चैयरमेन एवं सेकेटरी, जोधपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर अवमानना याचिका में पृथक से अन्य कोई आदेश जारी नहीं किये हैं एवं उक्त याचिका को डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य व अन्य में Merge कर दिया गया हैं।

- डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक पारित आदे ा, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.आर. पूनिया द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रदत्त राय एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश/प्रदत्त राय के मध्यनजर जोधपुर मास्टर प्लान–2023 के अन्तर्गत आरक्षित परिधि नियन्त्रण पट्टी भू–उपयोग के अतिरिक्त अन्य भू–उपयोगो में नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणो का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्भति से प्रकरण के संबंध में विचार विमर्श कर प्रकरण के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर राय प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा अधिक एवं अतिरिक्त आईटम की स्वीकृति बाबत्। (जोन–उत्तर)

1.	कार्य का नामः–	विज्ञान नगर आवासीय योजना में सड़क निर्माण कार्य
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कमांक एवं	JDA/A&F/TA to DE/2015-16/357-361 Date 28-05-2015 Rs. 64.67 lacs

	राशि	
	तकनीकी स्वीकृति संख्या एवं राशि	SE/N(B)/1/2015-16 Date 29-05-2015 Rs. 64.67 lacs
	कार्यादेश राशि	Rs. 41.42 Lacs
	स्वीकृत जी शेड्यूल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	As Per Deviation Statement
	अधिक कार्य राशिः–	Rs. 42.00 lacs
	अतिरिक्त कार्य राशिः–	Rs. 8.50 lacs
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारणः–	योजना में सड़कों का तकमीना बनाने के बाद योजना प्लान में आवश्यक संशोधन के कारण सड़कों की लम्बाई बढ़ने के कारण कार्य अधिक एवं मौके की स्थिति अनुसार अतिरिक्त कार्य हो रहे है। डब्लयू.बी.एम. सड़के बनाया जाना जरूरी है क्योकि सभी भूखण्ड आंवटित हो चुके है।
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है	कार्य प्रगति पर हैं तथा शेष सड़कों पर डब्लयू.बी.एम. कार्य करवाया जाना है।
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतिः–	(64.67+26.06) = 90.73 lacs
	शेड्यूल ऑफ पॉवर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	कार्यकारी समिति

2.	कार्य का नामः–	मण्डलनाथ आवासीय योजना पालड़ी खिचीयान में डब्लयू.बी.एम. सड़क निर्माण कार्य
	कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कमांक एवं राशि	JDA/A&F/TA to DE/2015-16/373 Date 28-05-2015 Rs. 60.50 lacs
	तकनीकी स्वीकृति संख्या एवं राशि	SE/N(C)/5/2015-16 Date 08-06-2015 Rs. 60.50 lacs
	कार्यादेश राशि	Rs. 39.85 Lacs
	स्वीकृत जी शेड्यूल के अनुसार निर्धारित कार्य सामग्री की मात्रा	As Per Deviation Statement
	अधिक कार्य राशि	Rs. 55.45 lacs
	अतिरिक्त कार्य राशि	Rs. 5.25 lacs
	कार्य अधिक/अतिरिक्त होने का कारण	योजना मानचित्र के अनुसार पूर्व में मुख्य–मुख्य सड़के ही ली गयी थी। चुंकि प्लान अनुसार सभी सड़के डब्लयू.बी.एम. कराया जाना जरूरी है। क्योंकि भूखण्डों का आंवटन हो चुका है।
	कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा करवाया जाना है।	कार्य प्रगति पर है तथा शेष सड़कों पर डब्लयू.बी.एम. कार्य करवाया जाना है।
	कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	(60.50+36.60) = 97.10 lacs
	शेड्यूल ऑफ पॉवर के अनुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य की स्वीकृति के लिए	कार्यकारी समिति

	सक्षम अधिकारी	

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति व अधिक एवं अतिरिक्त आईटम स्वीकृति हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में उपस्थित निदेशक–अभियांत्रिकी ने अवगत कराया कि योजनाओं के ले–आऊट प्लान रिवाईज होने के कारण अतिरिक्त/अधिक कार्य हुआ है तथा हुए अतिरिक्त/अधिक कार्य प्राधिकरण की शक्तियों में निहित है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त अतिरिक्त/अधिक आईटम के प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा संख्या 142 में संत श्री देवाराम सेवा संस्थान को भूमि आवंटन बाबत।

संत श्री देवाराम सेवा संस्थान द्वारा पूर्व मे ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा संख्या 142 रकबा 370–06 बीघा गै.मु. गोचर भूमि मे 8 बीघा भूमि की मांग वर्ष 2008 मे जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर से की गई थी। जिल कलेक्टर महोदय, जोधपुर द्वारा राजस्व (ग्रुप–3) विभाग जयपुर को पत्र क्रमांक प.12 (3) राज/आवं/08/492 दिनांक 14 जनवरी, 2008 को आवंटन की सिफारिश की गई थी तत्पश्चात् यह भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित हो गई। वर्तमान मे भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है। संयुक्त शासन सचिव तृतीय, के पत्र क्रमांक प.2(राज–3/2008) दिनांक 08 जुलाई 2015 द्वारा संत श्री देवाराम सेवा संस्थान को मोगड खुर्द, तहसील लूणी मे भूमि आवंटन करने बाबत् राजस्व विभाग को प्रेषित पत्र एवं राजस्व विभाग द्वारा जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित पत्र की प्रतियां संलग्न कर, इस सम्बन्ध मे जोधपुर विकास प्राधिकरण को स्पष्ट अभिमत/प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया है।

प्राधिकरण के तहसीलदार (पूर्व) व पटवारी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा संख्या 142 रकबा 370.06 बीघा गै.मु. गोचर भूमि प्राधिकरण के नाम है। उक्त खसरे मे प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रस्तावित हैं संत श्री देवाराम सेवा संस्थान के कब्जे की भूमि प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित है परन्तु मौके पर संस्थान का पुराना कब्जा है। संस्थान का कुल 4–11 बीघा भूमि पर कब्जा है। जिसमें खसरा नम्बर 143 रकबा 0.13 बीघा गै.मु. प्याऊ ग्राम पंचायत के नाम है व शेष 3–18 बीघा भूमि खसरा संख्या 142 की है। कब्जा पक्की दिवार व तारबंदी का है।

अतः संत श्री देवाराम सेवा संस्थान को ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा संख्या 142 मे से 3–18 बीघा भूमि किस्म गै.मु. गोचर संस्थान को आवंटित किये जाने के निर्णयार्थ प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से संपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति से राज्य सरकार को अवगत कराने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: कालबेलिया समाज को शमशान/कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन।

नगर निगम जोधपुर का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कालबेलिया समाज के लोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में वाद दायर किया था। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 16.09.2015 के अनुसार " 2 गज जमीन भी नसीब नही होती घर–घर बनी है कब्रे " का प्रशासन को दिया हुआ है। प्राधिकरण द्वारा कालबेलिया समाज के शमशान/कब्रिस्तान की भूमि की उपलब्धा हेतु तहसीलदार/पटवारी द्वार मौका रिर्पोट मंगवाई जाने पर ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 36 में नवीन आवंटन नीति 2015 के प्रस्ताव अनुसार 3,000 वर्ग गज भूमि आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध है। प्रकरण प्राधिकरण कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 31 :: राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खोजों की ढाणी मोकलावास को विद्यालय भवन एवं खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन करने के संबंध में।

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर द्वारा ग्राम मोकलावास के खसरा नं. 60 किस्म बारानी–2, रकबा–61–07 बीघा भूमि मे से 5 बीघा भूमि विद्यालय भवन निर्माण एवं 5 बीघा भूमि खेल मैदान अर्थात 10 बीघा भूमि आवंटन करने की मांग की गई। पटवारी (पश्चिम) की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 60 किस्म बारानी–2, रकबा 61–07 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उपरोक्त ग्राम का क्षेत्र प्राधिकरण के गैर योजना क्षेत्र में नगरीयकरण योग्य सीमा के बाहर स्थित है। जिसकी आवासीय आरक्षित दर 1700/– एवं व्यवसायिक आरक्षित दर 3400/– रूपये प्रति वर्गमीटर है। आरक्षित दर को 3 वर्ष पूर्ण होने के कारण 10 प्रतिशत बढोतरी करने पर उपरोक्त क्षेत्र की आवसीय आरक्षित दर 1870/– रूपये प्रति वर्गमीटर होती है। शिक्षा विभाग को उपरोक्त भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 4.02.2015 में निर्णयार्थ हेतु रखा गया था। कार्यकारी समिति की बैठक प्रस्ताव संख्या 9 में निर्णय लिया की उपरोक्त भूमि के आस–पास अन्य उपयुक्त वैकल्पिक भूमि का चयन कर विद्यालय का उक्त भूमि का प्रस्ताव मांगा जावें। तथा प्रकरण तथ्यात्मक स्थिति/रिर्पोट के साथ प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति में प्रस्तुत किया जावें।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.02.2015 के प्रस्ताव संख्या 9 की पालना में तहसीलदार (पश्चिम) मौका देखने हेतु उपरोक्त स्थल पर गये थे। वहॉं जाने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सम्पर्क होने पर प्रधानाध्यापक ने बताया की पूर्व में प्रस्तावित एवं निक्शे पर चिन्हत भूमि का ही आवंटन करने का अनुरोध किया है।

नवीन आवंटन नीति 2015 के प्रस्ताव अनुसार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय हेतु संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्ग मीटर एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम 3000 वर्ग मीटर आवंटन करने का प्रस्ताव है। अतः उपरोक्त विद्यालय को विद्यालय भवन हेतु एवं खेल मैदान भूमि आवंटन करने हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कि जानी प्रस्तावित है। प्रकरण प्राधिकरण कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया तथा स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 32 :: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान एवं छात्रावास हेतु ग्राम रूडकली पंचायत पोपावास में भूमि आवंटन।

प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रूड़कली (मन्डोर), जोधपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूड़कली को 15 बीघा भूमि आवंटन करने का प्रपत्र 'स' प्रस्तुत किया है। ग्राम रूड़कली के खसरा संख्या 106, रकबा 30–10 बीघा भूमि की किस्म गैर मुमकिन गौचर है। ग्राम रूड़कली के खसरा सं. 106 में 15 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन/खेल मैदान एवं छात्रावास हेतु भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है।

नवीन आवंटन नीति 2015 के प्रस्ताव अनुसार माध्यमिक विद्यालय हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम 6000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव।

छात्रावास हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम 1000 वर्गमीटर एवं संभागीय मुख्यालय छोड़कर अन्यत्र 1500 वर्ग मीटर तक आवंटन करने का प्रस्ताव है।

खेल मैदान एवं विद्यालय भवन ओर छात्रावास हेतु भूमि आवंटन की सक्षम स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त होने पर भूमि आवंटन की कार्यवाही की जाना संभव है। प्रकरण प्राधिकरण कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया तथा स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 33 :: उच्च जलाशय हेतु वैष्णव नगर (महादेव मंदिर पार्क) में भूमि आवंटन बाबत।

अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थय अभियान्त्रिक विभाग नगर खण्ड–तृतीय उविएवंरा जोधपुर के पत्रांक 3266 दिनांक 3.12.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया की माननीय मंत्री महोदया जन स्वास्थय अभियान्त्रिक विभाग जयपुर द्वारा विधान सभा में की गई घोषणा के अनुरूप नगर उपखण्ड पाल रोड़ में उच्च जलाश्य वैष्णव नगर में पेयजल योजना हेतु उच्च जलाश्य का प्रावधान रखा हुआ है। अतः उच्च जलाश्य हेतु वैष्णव नगर में को.सी.एफ. भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निवेदन किया है। प्रकरण प्राधिकरण कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार सशुल्क (कीमतन राशि वसूल करते हुए) भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया तथा नवीन आवंटन नीमिति के अन्तर्गत आवंटन करने हेतु राज्य सरकार की अनुमति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 34 :: प्राधिकरण की बैठक एवं कार्यकारी समिति बैठक के निर्णय की पालना में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों की पालना में लॉटरी समिति द्वारा राजीव गांधी योजना में रिक्त भूखण्ड का आवंटन

उपायुक्त (दक्षिण) की पूर्वी पाल रोड़ योजना के प्रकरण का भी निस्तातरण कर आवंटियो को एवं विभिन्न न्यायालयों के आदेशों की पालना में लॉटरी समिति की बैठक दिनांक 03.09.2015 में 3 प्रकरण बैठक दिनांक 11.09.2015 में 3 प्रकरण व बैठक 26.10.2015 14 प्रकरणों में सचिव महोदय की अध्यक्षता में राजीव गांधी आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन किये गये है। अतः उपरोक्त प्रकरणो का अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 35 :: खसरा संख्या 284, 291, 292, 463/1, 474/1, ग्राम पाल, क्लब हाउस आवंटन हेतु ।

खसरा संख्या 284, 291, 292, 463/1, 474/1, ग्राम पाल जोधपुर का ले–आउट प्लान दिनांक 21.05.2010 को स्वीकृत है तथा योजना की भूमि का 90–बी के तहत निर्णय दिनांक 04.03.2008 को किया जाकर नामान्तरण प्राधिकरण के नाम हो चुका है। खातेदार आशापूर्णा बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा क्लब हाउस की भूमि (क्षेत्रफल 1329.16 वर्गगज) की मांग की है।

उक्त प्रकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 28.09.2012 के प्रस्ताव संख्या 08 के अनुसार निर्णय पारित किया गया।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 में किसी योजना में आरक्षित विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता के आवेदन पर आवासीय आरक्षित दर पर उक्त सुविधाओं के विकास के लिए विकासकर्ता को आवंटित किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009 पार्ट दिनांक 03.05.2012 के द्वारा (किसी भी योजना में सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि विकासकर्ता को विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र की 5000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल की भूमि आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर तथा 5000 वर्गमीटर से अधिक भूमि का भाग आवासीय आरक्षित दर पर विकासकर्ता को आवंटित किया जा सकेगा) को प्रत्याहरित किया जाकर अब आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–4 जयपुर दिनांक 13.02.2015 के अनुसार निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :–

1. टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं का विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर योजना/आस–पास की योजना के आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित दर पर सुविधा के विकास हेतु आवंटित किया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा योजना अनुमोदन की तीन माह की अवधि में आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। विकासकर्ता योजना में जिस प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित है के अनुरूप सुविधा क्षेत्र का विकास करेगा।

2. यदि विकासकर्ता सुविधा क्षेत्र आवंटित किये जाने का अनिच्छुक है अथवा तीन माह की निर्धारित समायवधि में नगरीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो सम्बन्धित नगरीय निकाय इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर अन्य इन्छुक व्यक्ति/संस्थाओं को योजना अनुसार आरक्षित सुविधा क्षेत्र के विकास हेतु नियमानुसार आवंटित कर सकेगा। जिन विकासकर्ताओं द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 03.05.2012 जारी होने के पश्चात् आवंटन हेतु आवेदन कर दिया गया था व उस पर आवंटन आदेश जारी हो गये हों तो उन पर विभागीय आदेश दिनांक 03.05.2012 की शर्ते लागू होगी तथा जिन आवेदनों पर निर्णय नहीं हुआ हो वे इस आदेश के अन्तर्गत वर्णित शर्तों के अनुसार निष्पादित किये जावें।

अतः क्लब हाउस की भूमि (रकबा 1329.16 वर्गगज) आवंटन एवं दर निर्धारण हेतु वास्ते निर्णयार्थ समिति के विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से नियमानुसार आरक्षित दर पर क्लब हाऊस की भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 36 :: विवेक विहार आवासीय कॉलोनी में विद्युतीकरण हेतु जेविविएनएल से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के संबंध में।

1. विवेक विहार आवासिय कॉलोनी में विद्युतीकरण हेतु जे.वि.वि.एन.एल. से तकनीकी स्वीकृति मांगी गई थी जो प्राप्त हो चुकी है।

2. अधीक्षण अभियन्ता, जे.वि.वि.एन.एल. से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है उसके अनुसार 3 नग 33/11 सब स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसकी लागत राशि रू. 15,07,86,446/– का डिमाण्ड प्राप्त हुआं है। उपरोक्त राशि जे.वि.वि.एन.एल. में जमा

करवानी होगी। जिसके पश्चात सब स्टेशन निर्माण कार्य जे.वि.वि.एन.एल. द्वारा किया जायेगा। इसके लिये 1000 Sqmtr. का भूखण्ड प्रत्येक सब स्टेशन हेतु निःशुल्क जे.वि. वि.एन.एल. को आवंटित करना होगा जो कि पूर्व में प्राधिकरण द्वारा कॉलोनी में आरक्षित कर रखा है तथा प्राधिकरण बैठक में इसकी अनुमति प्रदान की जा चुकी है। लेकिन जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को आज दिनांक तक पट्टा जारी नहीं हो पाया है उसके संबंध में कार्यवाही की जानी है।

3. 11 के.वी. लाईन व एल.टी. लाईन का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना है। उसके लिये जे.वि.वि.एन.एल. से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के अनुसार उपरोक्त कार्य कि लागत का 15 प्रतिशत सुपरविजन राशि जमा करवानी होगी जो कि राशि रू. 3,71,03,456/- है। उपरोक्त राशि जमा करवाने के पश्चात ही कॉलोनी में करवाया जाने वाला कार्य कि टेस्टिंग होगी तथा भविष्य में आवेदक को विद्युत प्रदाय प्रदान करवाया जायेगा।

4. कॉलोनी में विद्युतीकरण कार्य के समय वहां लगने वाले ट्रांसफार्मर जे.वि.वि.एन.एल. से डिमाण्ड प्राप्त कर जमा करवाने के पश्चात डिस्कॉम से प्राप्त होगे। कॉलोनी में 253 नग ट्रांसफार्मर लगेगे उनकी लागत राशि रू. 5,56,50,306/- आयेगी। इस प्रकार कॉलोनी में विद्युतीकरण कार्यो हेतु जे.वि.वि.एन.एल. में राशि रू. 15,07,86,446/- + 3,71,03,456/- + 5,56,50,306/- = 24,35,40,208/- जमा करवाने हेतु उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचार विमर्श हेतु रखना प्रस्तावित है।

5. इस प्रकार जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार राशि रू. 24.35 करोड़ की मांग की गई है। यह राशि सम्पूर्ण कोलोनी को विद्युतीकरण हेतु खर्च होगी। प्रारम्भिक रूप में कोलोनी के विद्युतीकरण हेतु सुपरविजन राशि रू. 3.70 करोड़ एवं आगामी एक वर्ष लगने वाले 10 नग ट्रांसफार्मर की राशि रू. 30.00 लाख जमा करवाने हेतु कोलोनी में निर्माणधीन मकानो को विद्युत प्रदाय प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार कुल राशि रू. 4.00 करोड़ जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जमा करवाया जाना उचित रहेगा। शेष राशि जैस जैसे मकानो का निर्माण होगा। उसके अनुसार जमा करवाना उचित रहेगा। प्रकरण स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपस्थित निदेशक—अभियांत्रिकी ने मत प्रकट किया किया कि वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तावानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना उचित होगा तथा प्रथम चरण में 4.00 करोड़ रूपये की राशि ही जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जमा करवाना उचित होगा। बैठक में बाद विचार विमर्श निदेशक—अभियांत्रिकी के मत पर सहमति प्रकट करते हुए उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा प्रथम चरण में 4. 00 करोड़ रूपये की राशि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जमा करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 37 :: अरणा विहार आवासीय योजना की आरक्षित दर का अनुमोदन

बैठक में निदेशक—वित्त ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया किया कि प्राधिकरण की अरणा विहार योजना की आरक्षित दर गठित समिति रूपये 5,800/- प्रति वर्ग मीटर करने की अनुशंषा की गयी है। अतः कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अरणा विहार योजना की आरक्षित दर गठित समिति की अनुशंषा पर 5,800/- रूपये प्रति वर्ग मीटर करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 38 :: चैक हस्ताक्षर व्यवस्था पर पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव

बैठक में निदेशक–वित्त ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया किया कि दिनाक 19 अक्टूबर, 2015 को आमंत्रित कार्यकारी समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या 24 के अनुसार अनुमोदित उक्त शक्तियों के क्रम में जारी आदेश क्रमांक एफ/ लेखा/ 908–21 दिनांक 30–11–2015 के क्रमांक 3 पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। अतिरिक्त निदेशक–वित्त का पद सृति नहीं है तथा निदेशक–वित्त 31–1–2016 को सेवानिवृत्त हो रहे है। भुगतान चैकों पर न्यूनतम दो अधिकारियों के हस्ताक्षर आवश्यक है। अतः इसमें मुख्य लेखाधिकारी तथा सचिव को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से चैक पर वित्त शाखा के किन्हीं दो अधिकारियों के हस्ताक्षर आवश्यक करने का निर्णय लिया गया। आदेश पृथक से जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 39 :: अनुमोदित ले–आऊट प्लान के संबंध में।

पूर्व में नगर विकास न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गठित ले–आऊट अनुमोदन कमेटी अथवा जोनल लेवल कमेटी द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदित किये गये है। नगरीय विास विभाग के परिपत्र प.10 (193) नविवि/3/2009 पार्ट–II दिनांक 15 अप्रैल, 2014 द्वारा ले–आऊट प्लान का वर्तमान में गठित किया हुआ है। इस कमेटी द्वारा प्रकरणों में ले–आऊट प्लान अनुमोदन होने के पश्चात् कमेटी के कार्यवाही विवरण जारी किये जाते है। यह कार्यवाही विवरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन के आदेश के रूप में परिलक्षित होते है। पूर्व में इस तरह से अनुमोदित ले–आऊट प्लान के साथ संलग्न नक्शों पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर न होकर आयोजना शाखा अथवा पटवारी अथवा उपायुक्त शाखा द्वारा नक्शों को सत्यापित किया जाता रहा है। इस प्रकार समय समय पर विभिन्न तरह से नक्शों को सत्यापित करने की प्रकिया रही है। उक्त प्रकिया में एकरूपता लाने के संबंध में विचार विमर्श करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित प्रकिया में एकरूपता लाने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

अ– ले–आऊट प्लान अनुमोदन कमेटी/जोनल कमेटी द्वारा जारी कार्यवाही विवरण ही अनुमोदन के प्रमाणित दस्तावेज (Authorised Document) होंगे।

ब– ले–आऊट अनुमोदन के साथ संलग्न नक्शे पर यदि किसी भी एक कर्मचारी/ अधिकारी के हस्ताक्षर है तो वो भी मान्य होंगे जिसको आयोजना शाखा द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा।

स– यदि ले–आऊट प्लान कमेटी के कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न नक्शे पर पूर्व में हस्ताक्षर छूट गये है तो निदेशक–आयोजना द्वारा पूर्व में जारी कार्यवाही विवरण के अनुसार नक्शों को सत्यापित किया जा सकेगा।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
सचिव

क्रमांक/आवटन/2014/1802-5/2893-2924 दिनांक ::12 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण, जोधपुर
05. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको-जोधपुर/बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक- अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता-I/II/III, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
सचिव

2823-2924
12/1/16

परिशिष्ट–क

दिनांक 11 जनवरी, 2016 को सांय 4.00 बजे श्री जोगा राम, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद, अधीक्षण अभियन्ता (सिटी सर्किल), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
2.	श्री हेमचन्द मीना, सहायक उपायुक्त–पुलिस, जोधपुर
3.	श्री एन0एन0 मूथा, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
4.	श्री थानाराम, सहायक अभियन्ता, रारामा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5.	श्री नरपतसिंह शेखावत, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री आर.पी.शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री अनिल माथुर, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री नरेन्द्रसिंह राठौड, प्रबन्धक–यातायात, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
10.	श्री राजेन्द्रसिंह राठौड, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11.	श्री मोहनसिंह राजपुरोहित, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	श्री नवरतन लाल गहलोत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13.	श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव